	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 3, सोमवार, *शाके* 1942–फरवरी 22, 2021 *Phalguna 3, Monday, Saka 1942- February 22, 2021*	

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुटिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 15, 2021

संख्या एफ 89 (6)उ.मा-वि./ उ.सं./2006-V-II :-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-35) की धारा-42 उपधारा-(3) के खण्ड (क) के अनुसरण में एवं उक्त अधिनियम में अधिसूचित उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम-06 में उल्लेखित शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायाधिपति श्री बनवारी लाल शर्मा (सेवानिवृत्त), राजस्थान उच्च न्यायालय को अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर के रिक्त पद पर नियुक्त करती है। यह नियुक्ति 04 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी।

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष पद के अन्य निबन्धन एवं शर्ते उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 तथा उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2020 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित होंगी।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

नवीन जैन,

शासन सचिव (उपभोक्ता मामले)

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।